[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 20 जुलाई, 2016

अधिसूचना

का.आ 2476(अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 187 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मई, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) तारीख 19 मई, 2016, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में संशोधन करती है ।

2. उक्त अधिसूचना में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) उस तारीख को या पूर्व, जिसे धारा 184 के अधीन कर और अधिभार संदेय है और अप्रकटित आय की बाबत धारा 185 के अधीन शास्ति संदेय है, निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--

(क) ऐसे कर, अधिभार और शास्ति के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून रकम के लिए, 30 नवंबर, 2016 ;

(ख) खंड (क) के अधीन संदत्त रकम द्वारा यथा कम किए गए ऐसे कर, अधिभार और शास्ति के पचास प्रतिशत से अन्यून रकम के लिए 31 मार्च, 2017 ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अधीन संदत्त रकमों द्वारा यथा कम किए गए धारा 184 और धारा 185 के अधीन संदेय संपूर्ण रकम के लिए, 30 सितंबर, 2017 ;"।

[अधिसूचना 59 /2016, फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल]

(डा. टी.एस. मापवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।